न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00189 (213/2011) 223 आरटीएक्ट

हेमराज पुत्र सोहनलाल जाति ब्राम्हण निवासी बैर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फौत)

1/1 कृष्ण शर्मा पुत्र हेमराज
1/2 औमप्रकाश पुत्र हेमराज
1/3 प्रेमसुख पुत्र हेमराज
1/4 पन्नालाल पुत्र हेमराज
1/5 पारवती पुत्री हेमराज
1/6 सिलोचना पुत्री हेमराज
1/7 रोशनी पुत्री हेमराज
1/8 मोहीनी देवी पुत्री हेमराज

जाति ब्राम्हण निवासी बैर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोंडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.08.2011 द्वारा सहायक कलक्टर भादरा प्र. सं. 139/2006 बअनवानी हेमराज बनाम सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक:–20.06.2019

1. उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अपीलाण्ट 1/1 से 1/8 के पिता ने एक अर्जी दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया। अर्जीदावा में चक 5 झांसल, भांदरा के मु. नं. 128 व मु. नं. 129 की 2.530 है. बारानी कृषि भूमि को वादी की खातेदारी काश्तकारी भूमि घोषित करने एवं जमाबंदी से गैर खातेदारी का इन्द्राज हटाने एवं उसके स्थान पर खातेदारी का इन्द्राज करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते समय दसतावेजी साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया दस्तावेजों पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। उक्त भूमि कब्जा के आधार पर आवंटन के आधार पर निर्णय से प्राप्त गैर खतोदारी कृषि भूमि हुई है जिसको जरिये घोषणा खातेदारी घोषित करवाने का अपीलाण्ट अधिकारी था किन्तु विचारण न्यायलाय ने वाद वादी बिना किसी आधार के खारिज कर दिया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रिकार्ड में भूमि गैर खातेदारी भूमि थी तथा स्टेट की अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति थी की कब्जा वादी का है किन्तु किश्ते जमा करवाने के बाद ही खातेदारी दी जावे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने राज्य हित को सुरक्षित रखतो हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि रिकार्ड में भूमि गैर खातेदारी थी और प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय ने तनकीयत कायम की और वाद वादी साबित नहीं होना मानते हुए वाद खारिज किया है। तनकी नं.– 1 ''आया वाद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।'' वादी ने अपनी तनकी को सिद्ध करने के लिए नकल खसरा गिरदावरी 5 जेएसएल सम्वत 2013 से 34, व सम्वत 2061 से 64 प्रस्तुत की है जिसमे वादी द्वारा स्वयं की काश्त होना प्रकट होता है। नकल जमांदी सम्वत 2057 से 60 में वादी गैर खातेदार काश्तकार अंकित है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि उसे आवंटित की गई थी। भाखड़ा उपनिवेशन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गैर खतोदारी तभी दर्ज की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को भाखड़ा उपनिवेशन आवंटन नियम के तहत आवंटन की जा चुकी हो और आवंटन हो जाने उपरान्त समस्त किश्तें राज्य सरकार को जमा करवाने के उपरान्त ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। वादी द्वारा न तो किसी प्रकार के आवंटन आदेश ही पेश किये गये और न ही उसके द्वारा ऐसे साक्ष्य पेश किये गये हैं जिससे यह जाहिर हो सके कि वादी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

उपनिवेशन एक्ट लागू होने के समय से पहले के काश्तकार हैं। अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों को साबित करने के लिए अपील में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील में कोई सार नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन एव विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official